The Rajasthan Finance Act, 2022

Act No. 04 of 2022

Keywords:

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 09, बुधवार, शाके 1943-मार्च 30, 2022 *Chaitra 09, Wednesday , Saka 1943- March 30, 2022*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2022

संख्या प.2(19)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2022 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2022 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह भी कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, इस धारा में उपबंधित परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् भी पुनरीक्षण को स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिसीमा अवधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण फाइल नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था:"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 17 में, स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो," हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 35-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा)-

(1) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत,-	
(क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति पारिणामिक संस्था में निहित हो;	स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।
(ख) किसी अन्य मामले में।	पांच हजार रुपये।
(2) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन।	प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।
(3) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत,-	
(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है;	दो हजार रुपये।
(ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है;	दस हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, दो हजार रुपये।
(ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान केवल स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है;	सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो वह संपत्ति लेकर आया था, शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते

	हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(घ) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति और नकद दोनों के रूप में किया गया है।	नकद के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (क) और (ख) के अनुसार और स्थावर संपत्ति के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (ग) के अनुसार।
(4) सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन,-	
(क) जहां स्थावर सम्पत्ति किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके शेयर अंशदान के रूप में लायी गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली गयी हो;	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख) जहां स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित की गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति भागीदारों के मध्य वितरित की गयी हो।	सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो विघटन पर वह संपत्ति लेता है, शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(5) भागीदार का निवर्तन,-	
(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं लेता है;	वही शुल्क जो सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार या भागीदारों के शेयर के बराबर सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर संपत्ति के भाग के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय, उसके अंशदान के शेयर के रूप में नहीं लायी गयी थी;	वही शुल्क जो ऐसी संपति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ग) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और	सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार के शेयर के बराबर संपत्ति के

निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है जिसे सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित किया गया था;	भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(घ) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके अंशदान के शेयर के रूप में लायी गयी थी;	पांच सौ रुपये।
(ङ) जहां ऐसे भागीदार के निवर्तन के समय सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में कोई स्थावर संपत्ति नहीं है।	पांच सौ रुपये।
(6) किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये।

अध्याय 3

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2ख) उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(i) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित गलती की कोई परिशुद्धि, निरसित अधिनियमों के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा आवेदन करने पर शुरू की जा सकेगी। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, उस आवेदन का निपटारा उसके फाइल करने की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा;

(ii) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित निरसित अधिनियमों की किसी भी धारा के अधीन पारित किसी एकपक्षीय निर्धारण या सर्वोत्तम विवेकबुद्धि निर्धारण को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिशः आवेदन प्रस्तुत करने पर पुनः खोला जा सकेगा। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण आदेश के पुनः खोले जाने से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा; और

(iii) जहां 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) सहित निरसित अधिनियमों के अधीन संदेय किसी रकम की कोई मांग किसी भी समयावधि से बकाया है और कुर्क किये जाने और विक्रीत किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अभाव में अवसूलीय है वहां ऐसे मामलों में

ऐसी मांग आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लिखित आदेश द्वारा अपलिखित की जा सकेगी।"।

अध्याय 4

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 52 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 52 में विद्यमान खण्ड (क) से (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह एक लाख रुपये से अधिक की न हो;

(ख) सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की न हो;

(ग) उप-आयुक्त (प्रशासन) द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पच्चीस लाख रुपये से अधिक की न हो;

(घ) आयुक्त द्वारा, यदि वह पच्चीस लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक की न हो; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा, यदि वह पांच करोड़ रुपये से अधिक की हो।"।

अध्याय 5

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन किये गये आदेशों का विधिमान्यकरण

7. कतिपय आदेशों का विधिमान्यकरण.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन सम्मिलित माल के संबंध में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) की धारा 9 और 10 द्वारा क्रमश: राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 33 में अंत:स्थापित उप-धारा (4क) और धारा 34 में जोड़ी गयी उप-धारा (3क) के अधीन किया गया कोई आदेश विधिमान्य होगा।

अध्याय 6

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 30, 2022

No. F. 2(19)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2022

(Act No. 4 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of March, 2022)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2022-23 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2022.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of sections 4, 5, 6, 7 and 8 of this Act shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) in the existing second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided also that" shall be substituted; and

(ii) before the second proviso so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Chief Controlling Revenue Authority may admit revision after the expiry of the period of limitation provided in this section, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the revision within the limitation:".

4. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 17, the existing expression "or market value of the property, whichever is higher" appearing under Column No. 2, shall be deleted; and

(ii) for the existing Article 35-B, the following shall be substituted, namely:-

" **35-B. Limited Liability Partnership (LLP)-**	
(1) Instrument of conversion of a firm, a private limited company or an unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice-versa*,-	
(a) Where on conversion immovable property vests in the resultant entity;	Two percent on the market value of immovable property.
(b) in any other case.	Five thousand rupees.
(2) Reconstruction or amalgamation of limited liability partnership.	Four percent on the consideration or market value of the immovable property of the transferor limited liability partnership located within the State of Rajasthan, whichever is higher.
(3) Instrument of constitution of limited liability partnership,-	
(a) Where there is no share contribution in limited liability partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-;	Two thousand rupees.
(b) Where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof;	Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.
(c) Where such share contribution is brought in by way of only immovable property;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who brought that property.
(d) Where such share contribution is brought in by way of both immovable property and cash.	As per sub-clauses (a) and (b) on the part of share contribution in the form of cash and as per

	sub-clause (c) on the part of share contribution in the form of immovable property.
(4) Dissolution of limited liability partnership,-	
(a) Where the immovable property is brought in by any partner as his share contribution at the time of constitution of the limited liability partnership and such property is taken by any other partner as his share on dissolution;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(b) Where immovable property is acquired by the limited liability partnership after its constitution and such property is distributed among the partners on dissolution.	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who takes that property on dissolution.
(5) Retirement of partner,-	
(a) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes no immovable property at the time of his retirement;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the part of the immovable property of the limited liability partnership equal to the share of the retiring partner or partners in the limited liability partnership.
(b) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was not brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(c) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of

	acquired by limited liability partnership after its constitution;	the retiring partner in limited liability partnership.
(d)	Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;	Five hundred rupees.
(e)	Where the limited liability partnership does not own any immovable property at the time of retirement of such partner.	Five hundred rupees.
(6)	In any other case.	Five hundred rupees. ".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

5. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (2A) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(2B) Notwithstanding anything contained in the Acts repealed under sub-section (1),-

(i) any rectification of mistake pertaining to any period upto 30th June, 2017 may be initiated under the repealed Acts, *suo moto* by assessing authority or on application by the dealer. In case of application by dealer, it shall be disposed of within ninety days from the date of filing and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted;

(ii) an ex-parte assessment or best judgment assessment pertaining to any period upto 30th June, 2017 passed under any section of the repealed Acts may be re-opened *suo moto* by assessing authority or on application by the dealer submitted manually, directly to assessing authority. In case of application by dealer, assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days from the re-opening of assessment order; and

(iii) where a demand of any amount payable under the repealed Acts including the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) pertaining to any period upto 30th June, 2017, has been

outstanding for any length of time and is irrecoverable for want of any kind of property for being attached and sold, in such cases, demand may be written off through an order in writing, in the manner specified by the Commissioner, Commercial Taxes.".

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

6. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing clauses (a) to (e) in section 52 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the following shall be substituted, namely:-

"(a) by the Assistant Commercial Taxes Officer, if it does not exceed rupees one lac;

(b) by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, if it does not exceed rupees five lac;

(c) by the Deputy Commissioner (Administration), if it exceeds rupees five lac but does not exceed rupees twenty five lac;

(d) by the Commissioner, if it exceeds rupees twenty five lac but does not exceed rupees five crore; and

(e) by the State Government, if it exceeds rupees five crore.".

CHAPTER V
VALIDATION OF ORDERS MADE UNDER THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

7. Validation of certain orders.- Any order made under sub-section (4A) inserted in section 33 and sub-section (3A) added in section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) by sections 9 and 10 of the Rajasthan Finance Act, 2021 (Act No. 3 of 2021) respectively, in respect of goods subsumed under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) shall be valid.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

8. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), for the existing expression “ninety days”, the expression “one hundred eighty days in a calendar year” shall be substituted.

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।